**पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**
सीआईएन: L65910DL1986GOI024862
**ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत**
**दूरभाष:** +91 11 23456000, **फैक्स:** +91 11 23412545,
**ई-मेल आईडी** : investorsgrievance@ pfcindia.com
**वेबसाइट** : www.pfcindia.com

## नोटिस

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्य को संपन्न करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 को दोपहर 12.30 बजे निम्नलिखित बिजनेस का लेन-देन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अदर ऑडियो विज़ुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से होगी: -

### साधारण बिजनेस

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों सहित अंकेक्षित वित्तीय विवरणों, उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना एवं स्वीकार करना।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल लाभांश के रूप में इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करने के लिए ।

3. श्री पी के सिंह (डीआईएन: 03548218), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

4. सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

### विशेष बिजनेस

5. श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन (नों) के साथ या बगैर **साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित को पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 149, 142 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन:

08530587), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के दिनांक 20 मई, 2020 के पत्र संख्या 24-8/2/2019-पीएफ़सी (एमओपी) के माध्यम से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया और इसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफ़ारिश पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 के अनुसरण में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहने के लिए 1 जुलाई, 2020 से निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों पर कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में होंगी और इसके द्वारा नियुक्ति की जाती है।"

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के अंतर्गत अनुमोदित ऋण सीमा में वृद्धि और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) के अंतर्गत आशोधन और इस संबंध में विचार करने और यदि उचित समझा समझा जाता है तो, आशोधन के साथ या बिना आशोधन के निम्न संकल्प को **विशेष संकल्प** के रूप में पारित किया जाता है :

**"संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (किसी सांविधिक आशोधन (आशोधनों) या उसके पुन: अधिनियमन सहित, जैसा कि फिलहाल लागू है) और अन्य लागू नियमों तथा कंपनी के संगम ज्ञापन के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के बिजनेस के प्रयोजन हेतु और/या जैसा मंत्रालय/भारत सरकार की ओर से निदेश दिया जाए, प्रतिभूति के साथ या बिना प्रतिभूति के, इस बात के होते हुए कि कंपनी (बिजनेस की साधारण कार्यवाही में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋणों से अलग) द्वारा पहले से ऋण ली गई धनराशि के साथ ऋण ली जाने वाली धनराशि कुल प्रदत्त पूंजी या इसकी आरक्षित निधियों (रिजर्व) (सूचित किया जाता है कि रिजर्व किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अलग नहीं है) से अधिक होगी बशर्ते निदेशक मंडल द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक और समीचीन माने गए निबंधन एवं शर्तों पर ऋण ली गई कुल धनराशि और बकाया धनराशि किसी भी समय 6,00,000 करोड़ (छह लाख करोड़ रुपए मात्र) और किसी विदेशी मुद्रा में 15,000 यूएस डॉलर (15 बिलियन डॉलर मात्र) के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी, समय-समय पर ऋण लेने और ऐसी धनराशि या धनराशियों को जुटाने के लिए अनुमोदन और एतदद्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने की मंजूरी दी जाती है।"

**"इसके अतिरिक्त संकल्प किया जाता है कि** संगत नियमावली से साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1) (क) के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की सभी या किसी चल और/या अचल संपत्तियों, वर्तमान और भावी दोनों, के गिरवी (मोर्टगेज) और/या प्रभार के लिए, या 6,00,000 करोड़ रुपए (रुपए छह लाख करोड़ मात्र) और 15 बिलियन यूएस डॉलर (पंद्रह बिलियन यूएस डॉलर मात्र) के बराबर किसी विदेशी मुद्रा में ऋण राशियों के प्रतिभूत करने के लिए कंपनी के वचनबंध या वचनबंधों के सारवान या पूर्ण सारवान के लिए अनुमोदन और एतदद्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने की मंजूरी दी जाती है।

"**इसके अतिरिक्त संकल्प किया जाता है कि** ऐसे सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों जो उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक हों, को करने और निष्पादित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित किसी समिति और निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित किसी प्राधिकारी सहित) का अनुमोदन एतदद्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने की मंजूरी दी जाती है।

7. कंपनी के संगम ज्ञापन के ऑब्जेक्ट खंड में परिवर्तन करने और इस संबंध में विचार करने और यदि उचित समझा समझा जाता है तो, आशोधन के साथ या बिना आशोधन के निम्न संकल्प को **विशेष संकल्प** के रूप में पारित किया जाता है:

**"संकल्प किया जाता है कि** विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 13 मई, 2020 के पत्र संख्या F.No.24-3 / 2/2019-PFC, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, इसके अंतर्गत बनाई गई नियमवाली सहित और अन्य लागू नियमों जो फिलहाल लागू हों, तथा ऐसे अन्य अनुमोदनों, अनुमति और संस्वीकृतियों, जो भी आवश्यक हों, के अनुसार खंड III (क) के विद्यमान ऑब्जेक्ट और साथ ही इसे निम्नलिखित नए खंड III (क) के साथ प्रतिस्थापित करते हुए निम्नानुसार बदला जाता है :

क. कंपनी द्वारा इसकी स्थापना पर अपनाए जाने वाले मुख्य ऑब्जेक्ट हैं:

1. नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से बिजली सहित किसी भी रूप की विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण या आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं, गतिविधियों या निर्माण, उन्नयन, नवीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि आदि के वित्तपोषण के लिए

2. विद्युतीकरण कार्यों सहित परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों को वित्तपोषित करना, उन्नयन, नवीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि आदि विद्युत और विद्युतीकृत प्रणालियों, स्टैंडअलोन या जो बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा हैं जैसे लिफ्ट सिंचाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्मार्ट सिटी, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण आदि परियोजनाएं

3. परियोजनाओं, गतिविधियों, ऊर्जा संरक्षण के लिए योजनाओं, ऊर्जा दक्षता और बिजली के पर्यावरणीय पहलुओं सहित सह-उत्पादन/उत्पादन/संयुक्त गर्मी और बिजली, अपशिष्ट गर्मी वसूली प्रणाली (एस), ई-वाहन (एस) और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना सहित वित्त

4. नवीकरणीय ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों सहित बिजली क्षेत्र में आवश्यक पूंजीगत उपकरणों के निर्माण के लिए इकाइयों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, संचालन, रखरखाव के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण करना

5. खंड ए1 में शामिल बिजली परियोजनाओं के साथ आगे या पिछड़े संपर्क वाली परियोजनाओं, कार्यों और गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए, जिसमें बिजली क्षेत्र के लिए ईंधन या अन्य ईंधन आपूर्ति व्यवस्था के रूप में उपयोग के लिए कोयले और अन्य खनन गतिविधि (आईईएस) के विकास तक सीमित नहीं है, रेलवे लाइन (नों), सड़क (कों), पुल (लों), बंदरगाह (हों), जेटी और बंदरगाह (हों), गैस पाइपलाइन (नों), गैस टर्मिनल को पूरा करने और खंड ए1 में शामिल बिजली परियोजना के लिए आवश्यक हो सकता है।

6. अध्ययन, सर्वेक्षण, जांच, किसी भी परियोजना पर अनुसंधान, गतिविधि, या खंड ए1 से ए4 में शामिल काम और परामर्श, प्रशिक्षण, आदि सहित किसी भी गतिविधि को पूरा करने के लिए किसी भी खंड ए1 से ए5 में कंपनी के व्यावसायिक हित को बढ़ावा देने के लिए

**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के खंड 4,13 एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (निगमन) अधिनियम, 2014 (सांविधिक संशोधन (नों) अथवा इसका पुनःअधिनियमन, जो इस समय लागू हो) और अधिनियम अनुसूची 1 की तालिका क के अनुसार, संस्था के अंतर्नियम के मौजूदा खंड III जिसका शीर्षक 'प्रासंगिक अथवा अनुषंगी उद्देश्य' और मौजूदा खंड III ख जिसका शीर्षक 'अन्य उद्देश्य' का नए खंड III (ख) जिसका शीर्षक 'मामले जो उद्देश्य की बढ़त के लिए आवश्यक है और परिणामस्वरूप उचित रूप से पुनःअंकन किए जा सकते है' के विलयन हेतु कंपनी के संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन हेतु सदस्यों की सहमति एतदद्वारा ली गई है।

**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी सचिव ऐसे सभी अधिनियमों, दस्तावेज़ों, मामलों और वस्तुओं जो भी उचित, आवश्यक एवं योग्य हो, को करने हेतु एतदद्वारा अधिकृत है जिसमें इस संकल्प को लागू करने के उद्देश्य हेतु और इससे संबंधित मामलों के लिए किसी अन्य प्राधिकरण को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हेतु अथवा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में आवश्यक फॉर्म भरने सहित कार्य शामिल है।

**निदेशक मंडल के आदेश से**

**मनोहर बलवानी**
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली- 110001
सीआईएन: L65910DL1986GOI024862
दिनांक : 1 सितंबर, 2020

**टिप्पणियां:-**

1. कोविड़ -19 महामारी के जारी रहने के मद्देनजर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 8 अप्रैल 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 और दिनांक 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र सं 20/2020 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफ़डी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79/ के माध्यम से एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी द्वारा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित किया जा रहा है।

2. कंपनी ने केफिन टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक), रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए) द्वारा प्रदान की गई वीसी सुविधा के माध्यम से सदस्यों को 34वें एजीएम में भाग लेने में सक्षम बनाया है। सदस्यों द्वारा भाग लेने के निर्देश बाद के पैराग्राफ में दिए गए हैं। वीसी के माध्यम से एजीएम में भागीदारी को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

3. एमसीए परिपत्रों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, वीसी के माध्यम से 34वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

4. कंपनी ने एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के माध्यम से सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की है। दूरस्थ ई-वोटिंग की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में दी गई है। ऐसी दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा मतदान के अलावा है जो वीसी के माध्यम से 34वीं एजीएम में होगी।

5. वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे ।

6. कंपनी ने श्री सचिन अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफ़सीएस सं.: 5774, सीपी सं.: 5910) या उनकी अनुपस्थिति में, सुश्री अनुराधा जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को स्क्रूटनाइज़र के रूप में कार्य करने, ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जाँच करने के लिए नियुक्त किया है।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है। चूंकि एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी के माध्यम से 34वीं एजीएम आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को छोड़ दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी (यों) की नियुक्ति की सुविधा को 34वें एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और इसलिए इस नोटिस के लिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति स्लिप जारी नहीं की गई है।

8. कॉर्पोरेट सदस्यों को अपने प्रतिनिधि को वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति भेजनी होगी। उक्त संकल्प/प्राधिकरण को अपने पंजीकृत ई-मेल पते के माध्यम से sachinag1981@gmail.comके माध्यम से ई-मेल द्वारा स्क्रूटनाइज़र को evoting@kfintech.com पर चिह्नित एक प्रति के साथ भेजा जाएगा ।

9. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में उच्चतम हैं, वोट देने के हकदार होंगे।

10. सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बही गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 से मंगलवार से 29 सितंबर, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

11. एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ 34वीं एजीएम की सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कंपनी की वेबसाइट https://www.pfcindia.com/investors/annual-reports/, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर क्रमशः पर, और केफिनटेक, आरटीए की वेबसाइट https://evoting.karvy.com/ पर भी उपलब्ध होगी।

12. जिन सदस्यों ने कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, जैसा भी मामला हो, उनसे केफिन टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर जाने के लिए अनुरोध किया जाता है। अस्थायी पंजीकरण के लिए https://ris.kfintech.com/email_registration/ 34वें एजीएम के लिए शेयरधारकों की ई-मेल आईडी और वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस और वोटिंग निर्देश प्राप्त करने के लिए लैंडिंग पृष्ठ पर उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करें।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार एक बयान जो कि 34 वें एजीएम में लेन-देन किए जाने वाले विशेष व्यवसायों से संबंधित है, को संलग्न किया गया है।

14. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 36, (3) की आवश्यकता के अनुसार विनियम, 2015, के अपेक्षाओं द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत श्री पी के सिंह, निदेशक जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे है और मद सं. 3 के अंतर्गत पुनः नियुक्ति का प्रास्ताव है और मद सं. 5 के अंतर्गत श्रीमति परमिंदर चोपड़ा की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है, नोटिस का भाग है।

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुपालन में, सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त या पुन: नियुक्त किया जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुपालन में, उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में या सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके से कंपनी द्वारा तय किया जा सकता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करेगा। सदस्य निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षकों के उचित पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं, जैसा कि बोर्ड द्वारा उचित समझा जा सकता है।

16. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40 (1) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को एक डिपॉजिटरी के साथ विमुद्रीकृत रूप में आयोजित नहीं किया जाएगा। तदनुसार, भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों से आग्रह है कि वे अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज्ड करें ताकि वे स्वतंत्र रूप से उन्हें स्थानांतरित करने में सक्षम हो सकें और कॉर्पोरेट कार्यों में भाग ले सकें।

17. वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ की तारीख तक डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, एजीएम के दौरान केवल ई-वोटिंग के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। मतदान के अधिकार कट-ऑफ की तारीख के अनुसार सदस्य (यों) द्वारा रखे गए इक्विटी शेयर की संख्या के अनुसार होंगे। सदस्य केवल तभी वोट डालने के लिए पात्र होते हैं, जब वे उस तिथि पर शेयर धारण कर रहे हों। कृपया ध्यान दें कि एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तारीख पर कंपनी का सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना उद्देश्यों के लिए व्यवहार करना चाहिए।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के साथ पठित धारा 124 के अनुसरण में, लाभांश राशि जो सात वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक / अदावीत रहती है, को केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करना आवश्यक है। जिन शेयरों में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या लगातार सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिए दावा नहीं किया गया है, वे भी आईईपीएफ़ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी हैं । सदस्य, जिनके लावारिस लाभांश/ शेयर आईईपीएफ़ में स्थानांतरित हो गए हैं, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध आईईपीएफ़ वेब फॉर्म नंबर आईईपीएफ़ प्राधिकरण में एक ऑनलाइन आवेदन करके दावा कर

सकते हैं । निवेशकों का विवरण (जिसका भुगतान बकाया है) कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध योग्य हैं ताकि निवेशकों को उसी का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके ।

19. सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) जनादेश को प्रस्तुत करें, जिससे कंपनी ईसीएस के माध्यम से प्रेषण कर सके। भौतिक रूप में शेयर रखने वालों को कंपनी के आरटीए, केफिनटेक को ईसीएस मैंडेट फॉर्म प्राप्त और भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखने वालों को ईसीएस मैंडेट फॉर्म सीधे उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को मिल सकता है और भेज सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही कंपनी / आरटीए / डीपी के लिए ईसीएस मैंडेट फॉर्म प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें पूरे विवरण के साथ दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

20. शेयरधारक जिन्होंने भौतिक रूप से शेयर धारित किए हैं और ईसीएस सुविधा का विकल्प चुनने की इच्छा नहीं रखते हैं, कृपया अपने बैंकर का नाम, शाखा का पता और आईएफ़एससी और एमआईसीआर कोड के साथ खाता संख्या कंपनी के केफिनटेक, आरटीए को मेल कर सकते हैं।

21. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपना पैन जमा करने का अनुरोध करते हैं, जिनके साथ वे अपने डीमैट खातों का रखरखाव कर रहे हैं। इसने ट्रांसफर (एस) के लिए कंपनी / आरटीए को पैन कार्ड की एक प्रति प्रस्तुत करने के लिए स्थानांतरण के पंजीकरण के लिए और प्रतिभूतियों के बाजार लेनदेन और भौतिक रूप में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों को हस्तांतरित करने वाले प्रतिभूति बाजार लेनदेन और ऑफ-मार्केट / निजी लेनदेन के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपना पैन कंपनी के केफिनटेक, आरटीए को सौंप सकते हैं।

22. भौतिक मोड में कई फोलियो में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी या केफिनटेक, कंपनी के आरटीए से संबंधित शेयर प्रमाणपत्रों के साथ एक फोलियो में समेकन के लिए आवेदन करें। आवश्यक परिवर्तन करने के बाद ऐसे सदस्यों को एक समेकित शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

23. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी केफिनटेक, आरटीए को ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, सबडिवीजन, शेयरों के समेकन या किसी अन्य शेयर से संबंधित किसी भी अन्य मामले से संबंधित सभी पत्राचार भेजें।

24. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अंतर्गत अनुमति के अनुसार, कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के संबंध में नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए केफिनटेक को निर्धारित प्रपत्र में लिखें । डीमैटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास नामांकन दर्ज करना होता है।

25. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके नाम, डाक पते, ईमेल पते, टेलीफोन / मोबाइल नंबरों, स्थायी खाता संख्या (पैन), जनादेश, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि, उनके डीपी के लिए मामले में उनके द्वारा शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है और कंपनी के आरटीए, केटीए को उन मामलों में शेयरों को भौतिक रूप में रखा जाता है।

26. वित्तीय विवरणों और इस बैठक के किसी भी अन्य व्यवसाय के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले agm2020@pfcindia.com पर ईमेल के माध्यम से कंपनी के कंपनी सचिव को अपने प्रश्नों का समाधान करें। इसका जवाब कंपनी द्वारा उपयुक्त तरीके से दिया जाएगा।

27. नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण और सांविधिक रजिस्टरों के साथ संदर्भित सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे।

28. चूंकि 34वीं एजीएम को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए रूट मैप को इस नोटिस में संलग्न नहीं किया गया है।

**इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ पठित, कंपनी इस बैठक में हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में कंपनी के सभी शेयरधारकों को दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने एजीएम के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा के लिए केफिन टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) की सेवाएं ली हैं। ई-मेल में उपयोगकर्ता-आईडी और पासवर्ड का उल्लेख किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और निर्देश यहां दिए गए हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई-वोट डालने से पहले उन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

**ई-वोटिंग की कार्यविधि एवं अनुदेश**

I. इंटरनेट ब्राउजर लांच करें औरhttps://evoting.karvy.com खोलें।

II. उपस्थिति पत्र / ईमेल के अधोभाग में शुरुआती पासवर्ड निम्नानुसार प्रदान किया जाता है।

| ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर) | प्रयोक्ता आईडी | पासवर्ड |
|---|---|---|
| 5594 | **डीमेट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए :**<br>इवेंट नंबर और उसके बाद :<br>एनएसडीएल के लिए : 8 करेक्टर का डीपी आईडी जिसके बाद 8 डिजिट का क्लाइंट आईडी,<br>सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट का लाभार्थी आईडी<br><br>**वास्तविक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए :**<br>इवेंट नंबर और उसके बाद कंपनी के यहां पंजीकृत फोलियो नंबर | आपका अनोखा पासवर्ड भेजी गई ईमेल पर मुद्रित है। |

(क) यदि कोई सदस्य केफिंटेक प्राइवेट लिमिटेड से ईमेल प्राप्त करता है [ऐसे सदस्यों के लिए जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपाजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के यहां पंजीकृत है]:

i. लागिन क्रेडेंशियल (अर्थात प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। वास्तविक फोलियो के मामले में, प्रयोक्ता आईडी ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर) और उसके बाद फोलियो नंबर होगी। डीमेट खाता के मामले में प्रयोक्ता आईडी आपकी डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी होगी। तथापि, यदि आप ई-वोटिंग के लिए कॉर्वी के यहां पहले से पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

ii. इन ब्यौरों को उपयुक्त ढंग से प्रविष्ट करने के बाद, "लागिन" पर क्लिक करें।

iii. अब आप पासवर्ड परिवर्तन मेन्यू में पहुंचेंगे जिसमें आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलने की आवश्यकता होगी। नया पासवर्ड न्यूनतम 8 करेक्टर का होगा जिसमें से कम से कम एक करेक्टर बड़ा अक्षर (A-Z), एक छोटा अक्षर (a-z), एक संख्या (0-9) तथा एक विशेष करेक्टर @,#,$, इत्यादि) शामिल होंगे। पहली बार लागिन पर सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने तथा अपने संपर्क ब्यौरा जैसे कि मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि को अपडेट करने के लिए प्रेरित करेगा। अपना पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में उसे पुन: प्राप्त करने के लिए आप अपनी पसंद का कोई गुप्त प्रश्न एवं उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। सिफारिश की जाती है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें तथा अपने पासवर्ड को गुप्त रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें। आपको नए क्रिडेंशियल के साथ पुन: लागिन करने की आवश्यकता होती है।

iv. सफल लॉगइन पर सिस्टम आपको 'पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के ई-वोटिंग इवेंट को चुनने के लिए प्रेरित करेगा।

v. वोटिंग पेज पर, "पक्ष / विपक्ष" के तहत कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार शेयरों की संख्या प्रविष्ट करें (जो वोट की संख्या दर्शाती है) या वैकल्पिक तौर पर आप "पक्ष" आंशिक रूप से और "विपक्ष" में आंशिक रूप से कोई संख्या डाल सकते हैं परंतु "पक्ष / विपक्ष" में प्रविष्ट संख्याओं का जोड़ यहां ऊपर उल्लिखित आपकी कुल शेयर होल्डिंग से अधिक नहीं होगा। आप मतदान में भाग न लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि सदस्य "पक्ष" अथवा "विपक्ष" का उल्लेख नहीं करा जाएगा तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने मतदान में भाग न लेने का विकल्प चुना है तथा धारित किए गए शेयर किसी भी शीर्ष में नहीं गिने जाएंगे।

vi. अनेक फोलियो / डीमेट खाता के धारक सदस्य प्रत्येक फोलियो / डीमेट खाता के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।

vii. नोटिस के प्रत्येक आइटम के लिए अलग से मतदान किया जाना है। यदि आप किसी विशिष्ट वस्तु पर अपना वोट डालने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो इसे रोक दिया जाएगा।

viii. इसके बाद आप किसी उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना वोट डाल सकते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें।

ix. एक कनफर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए "ओके" पर क्लिक करें अन्यथा संशोधित करने के लिए "कैंसल" पर क्लिक करें। संकल्प पर वोट डालने के बाद आप अपना वोट बदल नहीं सकेंगे। वोटिंग अवधि के दौरान सदस्य संकल्प पर मतदान करने तक कितनी भी बार लागिन कर सकते हैं।

x. कॉर्पोरेट / संस्थागत सदस्य (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) के लिए भी ईमेल आईडी: sachinag1981@gmail.com पर संवीक्षक (संवीक्षकों) को विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के साथ बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई सत्यापित सही प्रति (पीडीएफ फार्मेट) भेजना आवश्यक है। उपयुक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई इमेज का नाम “कॉर्पोरेट का नाम_इवेंट नंबर” के फार्मेट में होना चाहिए।

(ख) ईजीएम का नोटिस और हाजिरी पर्ची की भौतिक प्रति प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में [ऐसे सदस्यों के लिए जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपाजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के यहां पंजीकृत नहीं या जो भौतिक प्रति के लिए अनुरोध कर रहे हैं] :

III. कृपया इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट डालने के लिए ऊपर क्रमांक (i) से (x) में उल्लिखित सभी चरणों का पालन करें।यदि कोई शंका हो तो आप कार्वी की वेबसाइटhttps://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध 'सहायता एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' और 'ई-वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल' देख सकते हैं या कार्वी फिंटेक प्राइवेट

लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी प्लाट 31-32, गचीबाउली, वित्तीय जिला, नानकरागुडा, हैदराबाद-500 032 के श्री बी निवास (यूनिट : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से संपर्क कर सकते हैं अथवा einward.ris@karvy.com पर ईमेल कर सकते हैं या फोन नंबर 040 6716 2222 पर फोन कर सकते हैं या किसी और स्पष्टीकरण के लिए कार्वी के टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर संपर्क कर सकते हैं।

IV. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली 2015 प्रावधान करती है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग की अवधि ईजीएम की तिथि से पूर्व तिथि को सायं 5:00 बजे बंद हो जाएगी। तद्नुसार वोटिंग की अवधि 26 सितंबर, 2020 को प्रात: 10:00 बजे शुरू होगी और 28 सितंबर, 2020 को सायं 5:00 बजे बंद होगी। उसी दिन सायं 5:00 बजे कार्वी द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल डिसेबल किया जाएगा। इस अवधि के दौरान कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर, 2020 को वास्तविक रूप में या डीमेट रूप में कंपनी के शेयर धारण करने वाले सदस्य इलेक्ट्रानिक रूप में अपना वोट डाल सकते हैं।

V. किसी सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

VI. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

VII. सदस्यों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ की तारीख के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा।

VIII. सदस्य वोटिंग के केवल एक माध्यम को चुन सकते हैं अर्थात वे रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यमों से वोट डालता है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाला गया वोट मान्य होगा तथा ईजीएम में डाले गए वोट को अमान्य समझा जाएगा।

IX. जिन सदस्यों ने ईजीएम का नोटिस प्रेषित होने के बाद किंतु कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर, 2020 को या इससे पहले शेयर प्राप्त किया है वे निम्नानुसार इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:
क. यदि सदस्य का ईमेल या मोबाइल नंबर फोलियो नंबर / डीपी आई क्लाइंट आईडी के विरुद्ध पंजीकृत है :

सदस्य 9212993399 पर एसएमएस भेज सकता है : MYEPWD <space> इवेंट नंबर+फोलियो नंबर या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी

एनएसडीएल के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE> IN12345612345678 सीडीएसएल के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE>1402345612345678
भौतिक के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE> XXX1234567890

अथवा

सदस्य https://evoting.karvy.com के होम पेज पर जा सकते हैं और "फारगॉट पासवर्ड" पर क्लिक करें तथा पासवर्ड सृजित करने के लिए फोलियो नंबर या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी और पैन प्रविष्ट करें।

ख. सदस्य टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर केफिंटेक को कॉल कर सकते हैं

ग. सदस्य einward.ris@karvy.com को ईमेल अनुरोध भेज सकते हैं। तथापि, कार्वी ऐसे नए सदस्यों को प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड भेजने का प्रयास करेगा जिनकी मेल आईडी उपलब्ध है।
ख। सदस्य KFintech के टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर कॉल कर सकते हैं

X. कंपनी की असाधारण आम बैठक में या इसके बाद संकल्पों पर परिणामों की घोषणा की जाएगी तथा बैठक की तिथि को संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मतदान की प्राप्ति के अधीन संकल्पों को पारित किया गया समझा जाएगा।

XI. संवीक्षक की रिपोर्ट (रिपोर्टों) के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.com) तथा कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर उपलब्ध होंगे तथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी संप्रेषित किए जाएंगे।

XII. आप फोलियो के प्रयोक्ता प्रोफाइल ब्यौरे में अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल अपडेट भी कर सकते हैं जिसका प्रयोग भावी संचार भेजने के लिए किया जा सकता है।

**वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु निर्देश:**

1. सदस्य https://emeetings.kfintech.com/ पर वीसी के माध्यम से "वीडियो कॉन्फ्रेंस और स्ट्रीमिंग" पर क्लिक करके और अपने दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्यों लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां "इवेंट" और "कंपनी का नाम" चुना जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते को पंजीकृत नहीं किया है या जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे इसमें उल्लेखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सूचना।

2. एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के शुरू होने के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुलेगी और इस तरह के शेड्यूल समय के बाद 15 मिनट की समाप्ति के बाद बंद हो जाएगी।

3. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम (पसंदीदा ब्राउज़र) का उपयोग करके बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

4. सदस्यों को दो-तरफ़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सक्षम करने के लिए वेब-कैम तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

5. सदस्यों को सलाह दी जाती है कि एजीएम में सुचारू तरीके से भाग लेने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें। प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है।

6. वे सदस्य जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे https://emeetings.kfintech.com/ पर जा सकते हैं और उनके नाम का उल्लेख करके, प्रदान की गई विंडो में अपने प्रश्नों को पोस्ट करने के लिए “पोस्ट योर क्वेरीज़ पोस्ट” पर क्लिक कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट नंबर / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान विंडो सक्रिय रहेगी।

7. उपर्युक्त चरण के अलावा, सदस्य अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करने के लिए एजीएम के लिए वक्ताओं के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। तदनुसार, सदस्य दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान https://e.meetings.kfintech.com/ पर जा सकते हैं और 'स्पीकर पंजीकरण' पर क्लिक कर सकते हैं। सदस्यों को एजीएम से पहले एक 'कतार संख्या' प्रदान की जाएगी। कंपनी के पास एजीएम में केवल उन सदस्यों को बोलने का अधिकार है, जिन्होंने एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर खुद को पंजीकृत किया है।

8. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र होंगे। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग को वीसी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। सदस्य अपना वोट डालने के लिए स्क्रीन के बाईं ओर वोटिंग आइकन ("अंगूठे का निशान") पर क्लिक कर सकते हैं ।

9. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या दौरान किसी तकनीकी सहायता या सहायता की आवश्यकता हो सकती है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे केफिन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड से टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर संपर्क करें या evoting@kfintech.com पर उन्हें लिखें ।

**नोटिस में दिए गए विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 102 (1) के अनुसरण में विवरण**

**मद संख्या 5**

निम्नलिखित विवरण, संलग्न नोटिस की मद संख्या 5 में उल्लिखित विशेष कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करता है :

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा को विद्युत मंत्रालय के दिनांक मई 20, 2020 के पत्र सं.24-8/2/2019 - पीएफ़सी (एमओपी) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी अधिवर्षिता तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया और इसके बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर इस वार्षिक आम बैठक तक पद पर बने रहने के लिए दिनांक 1 जुलाई , 2020 से निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमति परमिंदर चोपड़ा की नियुक्ति को विनियमित करने वाली शर्तें एवं नियम वही होंगे जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

अन्य बातों के साथ विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में अनुभव की प्रकृति दर्शाने वाला उनका संक्षिप्त रिज्यूम प्रदान किया जा रहा है जो इस नोटिस का अंग है।

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, इस संकल्प से संबद्ध है और रुचि रखती हैं।

इसके अलावा, उक्त संकल्प के पारित होने में किसी भी अन्य निदेशक या प्रबंधन के किसी प्रमुख कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का वित्तीय रूप में या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है, केवल कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग की मात्रा से जुड़े हित एवं सरोकार को छोड़कर।

बोर्ड इस नोटिस के क्रम संख्या 5 पर दिए गए संकल्प की साधारण संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए सिफ़ारिश करता है।

**मद संख्या 6**

निम्नलिखित विवरण संलग्न नोटिस के साथ मद संख्या 6 में उल्लिखित विशेष कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करता है :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के अनुसार, एक सार्वजनिक कंपनी के निदेशक मंडल, विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों की सहमति के अलावा, पैसे उधार लेने के लिए, जहां ऋण लिए जाने वाले निधि को छोड़कर नहीं होगा साथ में कंपनी द्वारा पहले से ऋण लिए गए निधि के

अलावा (व्यवसाय के साधारण पाठ्यक्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋण के अलावा) कंपनी की चुकता पूंजी और उसके मुक्त भंडार के कुल योग से अधिक होगा।

तदनुसार, 19 अगस्त 2016 को आयोजित कंपनी की 30 वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव में, कंपनी की सहमति धारा 180 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के निदेशक मंडल को दी गई थी। (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के रूप में समय-समय पर कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए आवश्यक राशि और रकम जमा करना और / या मंत्रालय / सरकार की ओर से उठाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। भारत, यह समझकर नहीं कि कंपनी द्वारा पहले से उधार लिए गए धन को एक साथ उधार लिया जाना चाहिए (कंपनी में अस्थायी ऋणों के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) में बताया गया है) किसी भी समय, रु। की राशि से अधिक हो सकती है। भारतीय रुपये में 4,00,000 करोड़ ( केवल चार लाख करोड़ रुपये ) और किसी भी विदेशी मुद्रा में क्रमशः 8,000 मिलियन यूएसडी (केवल आठ यूएसडी) के बराबर राशि और कंपनी के कुल भुगतान की गई पूंजी और उसके मुक्त भंडार के ऊपर (ऊपर) यह कहना है कि आरक्षित किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग नहीं है)।

विद्युत क्षेत्र की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, कंपनी की निधि की आवश्यकता वर्षों से लगातार बढ़ रही है।

इस प्रकार, अगले 3 से 4 वर्षों में कंपनी की निधियों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, बोर्ड ने 13 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में, रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की। 4,00,000 करोड़ रुपए से 6,00,000 करोड़ रुपए और यूएस $ 8,000 मिलियन (केवल 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के बराबर राशि को 15,000 मिलियन (केवल 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक बढ़ाया जा सकता है, जो किसी भी विदेशी मुद्रा के ऊपर और ऊपर भुगतान की गई पूंजी से अधिक है। कंपनी और इसके निशुल्क भंडार (कहने का मतलब है कि रिजर्व किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग नहीं है)।

बोर्ड आगे इस नोटिस के क्रमांक 6 पर दिए गए संकल्प को विशेष प्रस्ताव के रूप में आपकी स्वीकृति के लिए सुझाता है।

कंपनी में उनके शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों को उक्त प्रस्ताव को पारित करने में कोई चिंता या रुचि, वित्तीय या अन्यथा की आवश्यकता नहीं है।

**मद संख्या 7**

निम्नलिखित विवरण संलग्न नोटिस के साथ मद संख्या 7 में उल्लिखित विशेष कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करता है :

कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सीपीएसई है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्था है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत सर्वांगी रूप से महत्वपूर्ण गैर-डिपॉजिट ग्रहणकर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करती है। बदले हुए कारोबारी माहौल में उभरते व्यापारिक अवसरों का दोहन करने के लिए, संस्था के अंतर्नियम के मुख्य खंड में संशोधन करके कंपनी की वस्तुओं का विस्तार करना प्रस्तावित है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के लिए दिनांक 13 जुलाई, 2020 के पत्र सं. F.No. 24-3/2/2019-पीएफसी (विद्युत मंत्रालय) को बोर्ड ने कंपनी के संस्था के अंतर्नियम को बदलने को मंजूरी दे दी और कंपनी के सदस्यों की मंजूरी मांगी गई।

मुख्य खंड के प्रस्तावित बदलाव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

प्रस्तावित संशोधनों का सार निम्नानुसार है:

(i) खंड III (क) के शीर्षक का नाम मौजूदा शीर्षक “कंपनी के शामिल किए जाने बाद मुख्य विषयों के अनुसरण में’ से बदलकर "विषय जिसके लिए कंपनी की स्थापना की गई" किया जाए।

(ii) मौजूदा खंड III ख को 'ऑब्जेक्ट्स इनडिडेंटल या एंसिलरी' और मौजूदा क्लॉज III ग 'शीर्षक की अन्य वस्तुओं' को मिला कर मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के नए क्लॉज III (ख) को 'मामलों में' शीर्षक दिया जाना चाहिए, जो कि वस्तुओं के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है और इसके परिणामस्वरूप सामग्री में कोई बदलाव किए बिना, फिर से क्रमांकन।

(iii) खंड III (क) में मौजूदा 11 मुख्य वस्तुओं में संशोधन / परिवर्धन के बाद 6 खंडों में रखा गया है अर्थात ए-1 से ए-6 इस प्रकार है: -

| **संस्था के अंतर्नियम के मौजूदा खंड III (क)** | | **संस्था के अंतर्नियम के प्रस्तावित खंड III (क)** | |
|---|---|---|---|
| खंड सं | विवरण | क्लाज नं। | विवरण |
| 1 | विद्युत परियोजनाओं को वित्तपोषण करने के लिए, विशेष रूप से थर्मल और हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं में। | 1 | सृजन, बिजली स्रोतों से उत्पादन, आपूर्ति, वितरण या आपूर्ति से संबंधित किसी भी रूप की शक्ति से संबंधित किसी भी रूप की परियोजनाओं, |
| 2 | पॉवर ट्रांसमिशन और वितरण कार्यों का वित्तपोषण । | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | सृजन, उन्नयन, सुधार, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि, आदि की गतिविधियों या कार्यों को वित्त करने के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा का। |
| 3 | ऐसे संयंत्रों की उपलब्धता और प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से बिजली संयंत्रों का वित्त नवीकरण और आधुनिकीकरण करना। | 2 | परियोजनाओं को वित्तपोषण करने के लिए, विद्युत और विद्युत प्रणालियों के निर्माण, अपग्रेडेशन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, आदि के विद्युतीकरण कार्यों सहित गतिविधियों या कार्यों, स्टैंडअलोन या जो बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा हैं जैसे। लिफ्ट सिंचाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्मार्ट सिटी, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण आदि की परियोजनाएं। |
| 4 | वित्त व्यवस्था में सुधार के लिए ऊर्जा संरक्षण योजनाएं। | 3 | वित्त परियोजनाओं, गतिविधियों, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा के पर्यावरणीय पहलुओं के लिए योजनाएं जिनमें सहउत्पादन / ट्राइउत्पादन/ संयुक्त |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ताप और विद्युत, अपशिष्ट गर्मी वसूली प्रणाली (ओं), ई-वाहन (ओं) और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना शामिल है। |
| 5 | ऐसे उपकरणों की मरम्मत के लिए सुविधाओं, इंजीनियरों के प्रशिक्षण और संचालन और अन्य कर्मियों को उत्पन्न करने, पारेषण और बिजली के वितरण सहित पूंजीगत उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत के लिए। | 4 | नवीकरणीय ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों सहित बिजली क्षेत्र में आवश्यक पूंजीगत उपकरणों के निर्माण के लिए इकाइयों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, संचालन, रखरखाव के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित करना। |
| 10 | विद्युत क्षेत्र में आवश्यक कैपिटल इक्विपमेंट के वित्त निर्माण के लिए। | | |
| 8 | वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित अन्य ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन और विकास को वित्तपोषण देना। | 5 | वित्त परियोजनाओं, कार्यों और गतिविधियों में खंड ए1 में शामिल विद्युत परियोजनाओं के साथ फॉरवर्ड अथवा बैकवर्ड लिंकेज रखने के लिए, कोयला और अन्य खनन गतिविधि (यों) के विकास तक सीमित नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन या अन्य ईंधन आपूर्ति व्यवस्था के रूप में उपयोग करना, बिछाने रेलवे लाइन (एस), रोड (एस), ब्रिज (एस), पोर्ट (एस), जेट्टी और हार्बर (एस), गैस पाइपलाइन |
| 1 1 | विद्युत परियोजनाओं के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेज रखने वाली उन गतिविधियों के लिए वित्त और सहायता प्रदान करने के लिए, लेकिन विद्युत परियोजना में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए कोयला और अन्य खनन गतिविधियों जैसे अन्य ईंधन आपूर्ति | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | के विकास सहित, तक सीमित नहीं है। विद्युत क्षेत्र के लिए व्यवस्था, रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण, रेलवे लाइन बिछाने, सड़कों, पुलों, बंदरगाहों और बंदरगाह और ऐसी अन्य सक्षम बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए जिनकी आवश्यकता हो सकती है। | | (एस), गैस टर्मिनल (एस) और इस तरह के अन्य सक्षम बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए सुविधा (ओं) जो खंड 1 में शामिल एक विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक हो सकती है। |
| 6 | विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच करने के लिए। | 6 | किसी भी खंड ए1 में कंपनी के व्यावसायिक हित को बढ़ावा देने के लिए किसी भी परियोजना, गतिविधि, या खंड 1 और ए 4 में कवर किए गए कार्यों के लिए वित्त अध्ययन, सर्वेक्षण, अनुसंधान या परामर्श, प्रशिक्षण, आदि सहित किसी भी गतिविधि को करने के लिए ए1 से ए 5 के लिए। |
| 7 | विद्युत विकास और आपूर्ति में प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं से जुड़े अध्ययन, योजनाओं, प्रयोगों और अनुसंधान गतिविधियों को वित्त देना | | |
| 9 | कंपनी की संबंधित गतिविधियों में परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देना, व्यवस्थित करना या ले जाना। | | |

कंपनी के प्रस्तावित एमओए की एक प्रति, सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी, जो कि कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर लॉगइन करने से पहले, एजीएम की तिथि तक उपलब्ध होगी।

बोर्ड इस नोटिस के क्रमांक 7 पर दिए गए संकल्प को एक विशेष प्रस्ताव के रूप में आपकी स्वीकृति के लिए सुझाता है।

इसके अलावा, किसी भी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी हिस्सेदारी को छोड़कर, उक्त प्रस्ताव को पारित करने में कोई चिंता या रुचि, वित्तीय या अन्यथा नहीं है।

**मद संख्या 3 और 5 के अंतर्गत 34वीं एजीएम में नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का ब्योरा**

| **नाम** | **श्री पी.के. सिंह** | **श्रीमती परमिंदर चोपड़ा** |
|---|---|---|
| **जन्म तारीख और आयु** | 20.01.1962/58 | 30.04.1967/53 |
| **अर्हता** | आईआईटी-बीएचयू से बी.टेक (इलेक्ट्रिकल), एम. टेक - आईआईटी दिल्ली से ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधन और ग्लोबल एनर्जी एमबीए, बेयर कॉलेज ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन | वाणिज्य में स्नातक डिग्री और एक योग्य कॉस्ट एकाउंटेंट एवं एमबीए है। |
| **नियुक्ति की तारीख** | 10.08.2018 | 01.07.2020 |
| **नियुक्ति की शर्तें एवं नियम** | विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त किया गया। | विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया। |
| **पारिश्रमिक** | विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई नियुक्ति के मानक शर्तों के अनुसार। | विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई नियुक्ति के मानक शर्तों के अनुसार। |
| **प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता** | निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, श्री सिंह, पीएफसी में कार्यपालक निदेशक (परियोजना) के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने 24 वर्षों के लिए पीएफसी में परियोजना विभाग की विभिन्न यूनिटों में कार्य किया। इससे पहले उन्होंने 9 वर्ष से अधिक समय तक बीएचईएल और सीआईआई के लिए भी कार्यकिया। वह भारत सरकार की विभिन्न समितियों में पीएफसी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। श्री सिंह 18 जून, 2019 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में पीएफसी के नामित निदेशक भी हैं। श्री सिंह को उनके वर्तमान पोर्टफोलियो के अलावा 01 जून, 2020 से निदेशक (परियोजना), पीएफ़सी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे यूएमपीपी के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड और एसपीवी के बोर्ड में निदेशक भी हैं। उन्होंने पीएफसी में आरटीआई के उद्देश्यों के लिए अपीलीय प्राधिकार के रूप में भी कार्य | इनके पास विद्युत क्षेत्र में 32 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनएचपीसी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) और आरईसी जैसे संगठन शामिल हैं। ये 2005 में पीएफसी में शामिल हुईं और निदेशक (वित्त), पीएफसी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थीं। इन्हें निधि जुटाने, कॉर्पोरेट एकाउंटस, बैंकिंग एंड ट्रेजरी, एसेट-लायबिलिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेस्ड एसेट रिजॉल्यूशन आदि जैसे कोर फाइनेंस फंक्शंस का भरपूर अनुभव है। |

| | | |
|---|---|---|
| | किया। | |
| **वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या और ऐसी बोर्ड बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया** | 13/13 | लागू नहीं |
| **कंपनी के किसी अन्य निदेशक, प्रबंधक तथा अन्य केएमपी के साथ संबंध** | शून्य | शून्य |
| **कंपनी में धारित शेयरों की संख्या** | 32194 | 2000 |
| **अन्य कंपनियों में निदेशक** | • कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड<br>• सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड<br>• झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड<br>• घोघरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड<br>• पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड<br>• उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड<br>• आरईसी लिमिटेड | • कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड<br>• चेयूर इंफ्रा लिमिटेड<br>• पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड<br>• बिहार मेगा पावर लिमिटेड<br>• देवघर मेगा पावर लिमिटेड<br>• छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड<br>• कोस्टल आंध्र मेगा पावर लिमिटेड<br>• पीटीसी इंडिया लिमिटेड |
| **सभी सार्वजनिक कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष / सदस्य** | **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**<br>सदस्य, लेखा परीक्षा समिति<br>(निदेशक (परियोजनाओं) के अतिरिक्त प्रभार को धारण करके) | **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**<br>सदस्य, हितधारक संबंध और शेयरधारक '/ निवेशक' शिकायत समिति |

**लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारकों की शिकायत समिति के अलावा बोर्ड समितियों में अध्यक्ष / सदस्यता शामिल नहीं है ।*